भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2609

19 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषयः पीएमएफबीवाई के अंतर्गत आवेदन

2609. श्री जयंत सिन्हाः

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का हालिया जलवायु और तकनीकी परिवर्तनों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार किसानों को पर्याप्त बीमा सुरक्षा प्रदान करने और ग्रामीण तथा कृषि उत्पादों पर बीमा पर जोर देने हेतु कोई प्रभावी नीति बना रही है क्योंकि 2022 जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कृषि सीधे तौर पर प्रभावित होती है और यदि हां, तो उक्त नीति कब तक बनाये जाने की सम्भावना है;

(ग) पीएमएफबीवाई के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त और स्वीकृत हुए हैं;

(घ) उपरोक्त योजना के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितना प्रीमियम का भुगतान किया गया और उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष और राज्य-वार कुल कितने आवेदन हुए और उनकी संचयी बीमा मुआवजा राशि कितनी है और कितनी दावाकृत राशि प्राप्ति में सफलता प्राप्त हुई;

(ङ) दावाकृत बीमा राशि के संवितरण हेतु अपनाई जाने वाली समय-सीमा क्या है और दक्षता को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या इस योजना में शामिल होने के लिए झारखंड से कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)</u>

(क) एवं (ख): फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/यौक्तिकीकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद

हितधारकों/अध्ययनों के सुझावों/अभ्यावेदनों/सिफारिशों पर निर्णय लिया जाता है। तदनुसार, रबी 2018, खरीफ 2020 और खरीफ 2023 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। वर्तमान में, पीएमएफबीवाई के दिशानिर्देशों में संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण फसल के नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक जोखिमों/आपदाओं, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, कीटों और रोगों आदि के कारण फसल उपज नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा दो प्रमुख फसल बीमा योजनाएं नामतः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) कार्यान्वित की जा रही हैं। पीएमएफबीवाई गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ बोआई-पूर्व से लेकर फसलोपरांत नुकसान तक व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करता है, जबकि आरडब्ल्यूबीसीआईएस मौसम सूचकांकों में परिवर्तन के कारण संभावित फसल नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।

(ग) और (घ): इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक नामांकित किसान आवेदनों की संख्या, प्रीमियम में भारत सरकार की हिस्सेदारी और भुगतान किए गए दावों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ): दिशा-निर्देशों के अनुसार, फसल कटाई प्रयोग (सीसीई)/कटाई अवधि के पूरा होने के दो माह के भीतर और अधिसूचना जारी होने के एक माह के भीतर किया जाना अपेक्षित होता है ताकि निवार्य बुवाई, मध्य मौसम की प्रतिकूलता और फसलोपरांत हुए नुक़सानों के जोखिमों/संकटों के लिए पीएमएफबीवाई के अंतर्गत स्वीकार्य दावों का भुगतान संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा किया जा सके बशर्ते कि संबंधित सरकार से प्रीमियम राजसहायता का कुल हिस्सा समय के भीतर प्राप्त हो जाए। किसानों के दावों के समय पर निस्तारण के लिए, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्लेटफॉर्म को एकीकृत करते हुए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर एक डिजीक्लेम मॉड्यूल विकसित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे (क) बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनी के चयन के लिए कार्यकाल को बढ़ाकर 3 वर्ष करना; (ख) तीन जोखिम हिस्सेदारी मॉडल (लाभ और नुकसान साझाकरण, कप और कैप (60-130), कप और कैप (80-110) की शुरूआत जिसके तहत यदि कोई दावा नहीं किया जाता है तो राज्य द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा राज्य के खजाने में ही जाएगा; (ग) उन्नत प्रौद्योगिकी - राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी), प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज आकलन

प्रणाली (यस-टेक), मौसम सूचना नेटवर्क और डाटा प्रणाली (विंड्स), फसलों के वास्तविक समय के प्रेक्षणों और फोटोग्राफ का संग्रह (क्रोपिक), एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि अभिलेखों का एकीकरण, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उपयोग करके दावों की गणनाओं का निस्तारण सीधे किसानों के खाते में करने के लिए एनसीआईपी पर डिजीक्लेम मॉड्यूल; (घ) किसानों की समस्याओं का समाधान करने और योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए आईईसी गतिविधियों में वृद्धि आदि।

(च): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग झारखंड सहित कार्यान्वयन न करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने किसानों के लाभ के लिए पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित करने के लिए राजी कर रहा है। झारखंड सरकार ने विचार-विमर्श के दौरान इस योजना में फिर से शामिल होने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। तथापि, इस संबंध में झारखंड राज्य सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुबंध

पीएमएफबीवाई के तहत वर्ष 2019-19 से वर्ष 2022-23 तक नामांकित किसान आवेदनों की संख्या, एकत्र किए गए प्रीमियम और भुगतान किए गए दावों का राज्यवार विवरण (30.11.2023 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			2022-23		
	बीमित किसान आवेदन (लाख में)	भारत सरकार का प्रीमियम शेयर (करोड़ में)	भुगतान किए गए दावे (करोड़ में)	बीमित किसान आवेदन (लाख में)	भारत सरकार का प्रीमियम शेयर (करोड़ में)	भुगतान किए गए दावे (करोड़ में)	बीमित किसान आवेदन (लाख में)	भारत सरकार का प्रीमियम शेयर (करोड़ में)	भुगतान किए गए दावे (करोड़ में)	बीमित किसान आवेदन (लाख में)	भारत सरकार का प्रीमियम शेयर (करोड़ में)	भुगतान किए गए दावे (करोड़ में)	बीमित किसान आवेदन (लाख में)	भारत सरकार का प्रीमियम शेयर (करोड़ में)	भुगतान किए गए दावे (करोड़ में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.10	0.09	0.00	0.01	0.00	0.00	0.06	0.00	0.01	0.09	0.00	0.00	0.01	0.00
आंध्र प्रदेश	24.46	588.07	1,890.37	27.88	503.35	1,253.33	कार्यान्वित नहीं किया गया						175.40	1,111.74	556.29
असम	0.76	3.56	2.79	10.06	24.62	107.30	16.60	105.60	192.19	9.96	84.76	229.05	4.90	64.50	4.26
छत्तीसगढ़	15.74	364.02	1,087.29	40.20	532.89	1,303.71	51.63	623.90	885.93	58.39	620.76	1,429.77	77.24	702.12	507.65
गोवा	0.00	0.00	0.10	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	21.71	1,369.42	2,777.88	24.81	1,573.49	240.31	कार्यान्वित नहीं किया गया								
हरियाणा	15.10	262.48	948.31	17.11	421.49	938.00	16.51	482.13	1,285.39	14.53	447.70	1,698.22	14.46	480.76	1,891.38
हिमाचल प्रदेश	2.70	24.73	55.01	2.84	26.23	67.55	2.41	36.54	81.78	2.34	35.12	39.89	2.67	37.96	14.32
जम्मू और कश्मीर	1.54	30.00	23.64	कार्यान्वित नहीं किया गया						0.91	16.73	56.05	0.92	17.00	3.49
झारखंड	12.95	164.80	773.30	10.92	140.92	27.46	0.00	कार्यान्वित नहीं किया गया							
कर्नाटक	19.67	787.34	2,986.78	19.84	1,002.73	1,513.08	16.07	819.26	1,027.45	19.34	877.95	1,490.19	26.45	1,075.53	1,463.79
केरल	0.57	14.88	26.77	0.58	33.19	88.92	0.76	38.19	125.33	0.99	47.16	95.18	1.47	63.62	2.01
मध्य प्रदेश	74.43	2,346.56	3,785.82	82.38	1,638.44	6,195.88	84.41	3,151.30	7,791.32	92.67	2,965.73	2,907.22	177.26	1,577.54	862.88
महाराष्ट्र	148.70	2,663.53	6,144.12	145.66	2,734.82	6,758.23	124.06	2,719.55	1,486.46	99.03	2,455.89	4,389.29	107.44	2,312.37	3,402.41
मणिपुर	0.01	0.05	0.00	0.03	0.46	1.14	0.00	0.00	0.00	0.03	1.12	1.48	0.04	1.29	1.43
मेघालय	0.01	0.02	0.22	0.01	0.00	0.18	0.00	0.00	0.07	0.00		0.00	0.00	0.04	0.00
ओडिशा	21.06	474.73	1,170.50	48.79	947.25	1,157.96	97.52	639.84	572.44	81.70	574.28	1,041.22	80.06	567.59	497.10
पुद्दुचेरी	0.10	0.97	0.45	0.12	1.56	7.13	0.11	1.74	13.39	0.36	2.60	0.00	0.31	2.01	0.00
राजस्थान	72.12	1,502.54	3,454.27	86.17	2,196.98	5,025.13	107.59	2,624.76	4,351.15	345.31	2,560.46	5,130.27	390.74	2,586.73	3,534.57
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.53	0.05	0.03	0.00
तमिलनाडु	25.74	742.09	2,663.90	38.94	891.14	1,214.00	58.88	1,077.49	2,678.26	59.14	1,107.11	831.36	61.60	1,061.98	663.57
तेलंगाना	7.99	194.77	570.52	10.34	320.64	507.75	कार्यान्वित नहीं किया गया								
त्रिपुरा	0.02	0.02	0.02	0.36	0.16	0.81	2.57	1.90	2.60	3.36	3.80	2.63	3.21	4.34	0.00
उत्तर प्रदेश	61.42	548.25	469.17	46.98	492.56	1,084.56	41.90	640.91	499.49	40.67	612.45	956.11	42.53	626.70	860.55
उत्तराखंड	1.93	27.03	72.38	2.13	42.75	103.24	1.71	65.60	134.86	1.83	80.49	109.91	2.82	117.37	106.04
पश्चिम बंगाल	53.19	206.06	535.73	कार्यान्वित नहीं किया गया											
योग	**581.93**	**12,316.02**	**29,439.40**	**616.15**	**13,525.68**	**27,595.68**	**622.74**	**13,028.75**	**21,128.14**	**830.56**	**12,494.20**	**20,408.39**	**1,169.56**	**12,411.23**	**14,371.75**

लाख/करोड़ में पूर्णांक, इसलिए 0 के रूप में दिखाया गया है

*****